



पत्र क्रमांक/मा.चि./ 4933  
प्रति,

होशंगाबाद, दिनांक 28.06.24

कलेक्टर  
(विस्थापन शाखा)  
होशंगाबाद

विषय :- ग्राम सुपलई भाग-4 के विस्थापन/पुनर्वास हेतु सोहागपुर तहसील के अंतर्गत प्रस्तावित वनक्षेत्र कक्ष क्र.पी.-273 में 79.80 हेक्टेयर वनभूमि में वनअधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई दावा प्रस्तावित/लंबित नही होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने बावत।

संदर्भ :- भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नईदिल्ली के ज्ञाप क्रमांक/एफ.नं.11-9/98 एफ.सी. (पी.टी.) दिनांक 05.07.2013

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नईदिल्ली के संदर्भित ज्ञाप से दिये गये निर्देशानुसार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य में स्थित ग्राम सुपलई के ग्रामीणों द्वारा सोहागपुर तहसील के अंतर्गत कक्ष क्र. पी.-273 में 79.80 हेक्टेयर वनभूमि विस्थापन/पुनर्वास हेतु प्रस्तावित की गयी है जिसमें वनअधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई दावा प्रस्तावित/लंबित नही होने के संबंध में ग्राम स्तरीय वनअधिकार समिति पथरई से प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है तथा ग्राम पंचायत पथरई की ग्राम सभा से अनापत्ति जारी की गई है जो संलग्न कर आपकी ओर भेजा जा रहा है।

अतः सोहागपुर तहसील के अंतर्गत कक्ष क्र. पी.-273 में 79.80 हेक्टेयर वनभूमि में वनअधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई दावा प्रस्तावित/लंबित नही होने के संबंध में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति से प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में जारी कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव भारत शासन को भेजा जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(सुशील कुमार प्रजापति)  
उपसंचालक  
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व  
होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक .....

पृष्ठां.क्रमांक/मा.चि./ .....

प्रतिलिपि :- 1. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि सोहागपुर तहसील के अंतर्गत कक्ष क्र. पी.-273 में 79.80 हेक्टेयर वनभूमि में वनअधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई दावा प्रस्तावित/लंबित नही होने के संबंध में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति से प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें।  
2. सहायक संचालक, सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर से यथाशीघ्र सम्पर्क कर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

-sd  
उपसंचालक  
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व  
होशंगाबाद

कार्यालय क्षेत्रसंचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद, म.प्र.

Phone No. 07574-254394 (O) Fax, 07574-252133

E-mail: ddsatnp.hbd@mp.gov.in



पत्र क्रमांक/मा0चि0/.....3475  
प्रति,

होशंगाबाद, दिनांक 7.4.21

कलेक्टर  
होशंगाबाद

विषय :- सतपुडा टाइगर रिजर्व से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामों के पुनर्वास हेतु चयनित वनकक्ष 225 में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने बावत।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि सतपुडा टाइगर रिजर्व से विस्थापन हेतु सहमत ग्राम सुपलई के ग्रामीणों द्वारा पुनर्वास हेतु वनमडल होशंगाबाद के परिक्षेत्र सोहागपुर के कम्पार्टमेंट आर.एफ.-225 को चयनित कर बसने हेतु सहमति दी गई है। इस वनकक्ष की वनभूमि ग्राम विस्थापन के कार्य के लिये प्राप्त करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि व्यवर्तन का प्रस्ताव तैयार कर भारत शासन को भेजा जाना है।

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्र. एफ. नं. 11-9/98- एफ. सी. (पी.टी.) दिनांक 05.07.2013 अनुसार ग्रामीणों द्वारा चयनित वनकक्ष में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत किसी का दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ज्ञाप की प्रति संलग्न है।

सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामीणों द्वारा चयनित वनकक्षों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्ट. में
1.	सुपलई	बाबई	सोहागपुर	आर.एफ.-225	100.00

अतः ग्रामीणों द्वारा चयनित उक्त वनकक्ष में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत किसी का दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करे, प्रमाण पत्र का प्रारूप आपके ओर आवलोकनार्थ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उपसंचालक

सतपुडा टाइगर रिजर्व  
होशंगाबाद

# कार्यालय क्षेत्रसंचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद, म.प्र.

Phone No. 07574-254394 (O) Fax, 07574-252133

E-mail: ddsatnp.hbd@mp.gov.in



पत्र क्रमांक / मा०चि० / १११६  
प्रति,

होशंगाबाद, दिनांक 11-12-2020

कलेक्टर  
होशंगाबाद

विषय :- सतपुडा टाइगर रिजर्व से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामों के पुनर्वास हेतु चयनित वनकक्षों में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने बावत।

—0000—

विषयांतर्गत लेख है कि सतपुडा टाइगर रिजर्व से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामों मल्लुपुरा, खामदा एवं सुपलई के ग्रामीणों द्वारा पुनर्वास हेतु वनमण्डल (सा.) होशंगाबाद के अंतर्गत अलग-अलग तहसील एवं परिक्षेत्रों में चयनित वनकक्षों में बसने की सहमति दी गई है। ग्रामीणों द्वारा चयनित निम्नानुसार वनकक्षों की वनभूमि प्राप्त करने हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार कर शासन की ओर भेजे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। जो निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	अनुमानित परिवार	आवश्यक वनभूमि (हे.में)
1.	झालई भाग-1	इटारसी	पी.-146	30	67.00
2.	मल्लुपुरा-04 एवं झालई भाग-04	इटारसी	पी.-447	13	29.034
3.	खामदा भाग-2	इटारसी	पी.-181	06	14.232
4.	खामदा भाग-3	इटारसी	पी.-180	37	90.00
5.	मल्लुपुरा भाग-03	सोहागपुर	पी-273	26	12.00
			पी-190		11.00
			पी-193		43.87
			पी-188		23.55
6.	सुपलई भाग-1	इटारसी	पी-179	50.00	50.00
7.	सुपलई भाग-2	इटारसी	पी-174	110.00	110.00
8.	सुपलई भाग-3	इटारसी	पी-144	73.416	73.416

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्र. एफ. नं. 11-9/98- एफ. सी. (पी.टी.) दिनांक 05.07.2013 अनुसार ग्रामीणों द्वारा चयनित वनकक्ष में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत किसी का दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ज्ञाप की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामीणों द्वारा चयनित वनकक्ष में आने वाली उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को उक्त वन कक्षों में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत किसी का दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने बावत अपने स्तर से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी एवं होशंगाबाद को लेख करने का अनुरोध है। तदनुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

संलग्न:- निर्धारित प्रारूप

  
उपसंचालक  
सतपुडा टाइगर रिजर्व  
होशंगाबाद

# कार्यालय क्षेत्रसंचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद, म.प्र.

Phone No. 07574-254394 (O) Fax, 07574-252133

E-mail: ddsatnp.hbd@mp.gov.in



पत्र क्रमांक / मा०चि० / १११६  
प्रति,

होशंगाबाद, दिनांक 11-12-2020

कलेक्टर  
होशंगाबाद

विषय :- सतपुडा टाइगर रिजर्व से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामों के पुनर्वास हेतु चयनित वनकक्षों में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने बावत।

—0000—

विषयांतर्गत लेख है कि सतपुडा टाइगर रिजर्व से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामों मल्लुपुरा, खामदा एवं सुपलई के ग्रामीणों द्वारा पुनर्वास हेतु वनमण्डल (सा.) होशंगाबाद के अंतर्गत अलग-अलग तहसील एवं परिक्षेत्रों में चयनित वनकक्षों में बसने की सहमति दी गई है। ग्रामीणों द्वारा चयनित निम्नानुसार वनकक्षों की वनभूमि प्राप्त करने हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार कर शासन की ओर भेजे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। जो निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	अनुमानित परिवार	आवश्यक वनभूमि (हे.में)
1.	झालई भाग-1	इटारसी	पी.-146	30	67.00
2.	मल्लुपुरा-04 एवं झालई भाग-04	इटारसी	पी.-447	13	29.034
3.	खामदा भाग-2	इटारसी	पी.-181	06	14.232
4.	खामदा भाग-3	इटारसी	पी.-180	37	90.00
5.	मल्लुपुरा भाग-03	सोहागपुर	पी-273	26	12.00
			पी-190		11.00
			पी-193		43.87
			पी-188		23.55
6.	सुपलई भाग-1	इटारसी	पी-179	50.00	50.00
7.	सुपलई भाग-2	इटारसी	पी-174	110.00	110.00
8.	सुपलई भाग-3	इटारसी	पी-144	73.416	73.416

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्र. एफ. नं. 11-9/98- एफ. सी. (पी.टी.) दिनांक 05.07.2013 अनुसार ग्रामीणों द्वारा चयनित वनकक्ष में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत किसी का दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ज्ञाप की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामीणों द्वारा चयनित वनकक्ष में आने वाली उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को उक्त वन कक्षों में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत किसी का दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने बावत अपने स्तर से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी एवं होशंगाबाद को लेख करने का अनुरोध है। तदनुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

संलग्न:- निर्धारित प्रारूप

  
उपसंचालक  
सतपुडा टाइगर रिजर्व  
होशंगाबाद